

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-अराज0/सामान्य/टी.सी./2024/154

दिनांक:- 26/03/2024

निदेशक, क0रा0बी0 योजना,
विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल,
समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/राजकीय मेडीकल कॉलेज/राजमेस/
एसआरजी, झालावाड/आरयूएचएस,
समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ समूह,
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
एवं शेष नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

विषय:- सूचना भिजवाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेशों की पालना में आपके अधीनस्थ संस्थानों में कार्यरत अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों की निम्न प्रपत्र में सूचना दिनांक 28.03.2024 अपरान्ह 05 बजे तक सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में ई-मेल आई.डी. dmhs.tcng@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें:-

क्र0 सं0	जिला	संस्था का नाम	कर्मचारी/ अधिकारी का नाम	पदनाम	याचिका संख्या	माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक जिसके विरुद्ध स्थगन आदेश पारित हुआ है।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट:- बिन्दु संख्या 08 में यदि माननीय न्यायालय द्वारा एक से अधिक आदेशों की विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया है तो उक्त आदेशों का पूर्ण विवरण अंकित करें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक:-अराज0/सामान्य/टी.सी./2024/154

दिनांक:- 26/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान न्यायालय, जयपुर।
- उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
- प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रपत्र करवाते हुए सभी संबंधित को ई-मेल भी करें।

Signature valid

RajKai Ref



Digitally Signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.03.26 15:52:48 IST
Reason: Approved